दिनांक 22.06.2018 को माननीय मंत्री, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित कृषि विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

1. निदेश दिया गया कि शेरघाटी में बी0आर0बी0एन0 का गोदाम बनाने हेतु प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।
2. NSC से दिनांक–26.06.2018 (मंगलवार) को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पावर पवाईन्ट प्रजेन्टेशन कराने हेतु निदेश दिया गया।
3. कुदरा मे बी0आर0बी0एन0 के प्रशासनिक भवन का सुदृढ़ीकरण/रोड पर पेभर लॉक लगाने/पुराने मशीन का रिप्लेसमेन्ट एवं बीज बैंक की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिया गया।
4. कोल्ड स्टोरेज के लिए हार्टिकल्चर से सब्सिडी लेकर उसे पूर्ण कराने एवं चालू कराने का निदेश दिया गया।
5. पंत भवन का सुदृढ़ीकरण, विभागीय सभाकक्ष हॉल में बैम्बू वाल लगाने/माननीय मंत्री कृषि के कार्यालय कक्ष/प्रधान सचिव/निदेशक/विशेष सचिव के कार्यालय कक्ष को सुजज्जित कराने/ विभागीय अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी के कार्यालय कक्ष को ठीक कराने हेतु आर्किटेक की मदद लेकर एक प्लानिंग करने का निदेश दिया गया।
6. मीठापुर स्थित राज्यस्तरीय संयुक्त कृषि भवन का बांउंड्री ठीक कराने एवं इस बरसात में प्लांटेशन कराने हेतु कॉन्ट्रैक्टर को निदेशित करने हेतु निदेश दिया गया।
7. बीज गुणन प्रक्षेत्रों एवं कृषि उत्पादन बाजार समिति के कैम्पस में वन एवं पर्यावरण विभाग से प्लांटटेशन कराने हेतु सुझाव दिया गया। प्लांटटेशन कराने हेतु जिलावार प्राक्कलन उपलब्ध कराने के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग को पत्र लिखने का निदेश दिया गया। प्रक्षेत्रों के टूटे हुए बैरिकेटिंग (घेराबंदी) को ठीक कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

8. प्रक्षेत्रों के जमीन का मोटेशन कराने हेतु प्रधान सचिव स्तर से जिला पदाधिकारी को पत्र लिखने का निदेश दिया गया।

9. राज्य योजना अन्तर्गत बिहार राज्य बीज निगम को आधारभूत संरचना हेतु सहायक अनुदान मद में 16 करोड़ राशि का प्रावधान है। इस राशि का अविलम्ब योजना प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

10. माननीय मंत्री महोदय द्वारा कहा गया कि राशि की कमी होने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था प्रथम/द्वितीय अनुपूरक बजट में कराया जायेगा।

11. इंटीग्रेटेड फारमिंग, टिशु कल्चर लैब, समेकित कृषि प्रणाली, प्रक्षेत्रों में जिस यंत्र की आवश्यकता है उसे जोड़ने का निदेश दिया गया। आश्यकतानुसार सब्सिडी रेट घटाने–बढ़ाने हेतु परामर्श दिया गया।

12. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अलग से योजना बनाकर विशेष छूट देने हेतु परामर्श दिया गया।

13. फसलों को कीड़े से बचाने के लिए अभी क्या कर रहे है, अन्य राज्यों में क्या हो रहा है, क्या आवश्यकता है आदि विषयों पर चर्चा हेतु पौधा संरक्षण के साथ बैठक कराने हेतु निदेश दिया गया।

14. NMOOP योजनान्तर्गत किसानों को जो फसल की आवश्यकता है उसके अनुसार बीज देने का निदेश गया गया।

15. बगानों में दो फसल उगाने के उद्देश्य से हल्दी, अदरक एवं ओल का फसल लगाने का सुझाव दिया गया। इससे संबंधित बामेती में एक बैठक कराने का निदेश दिया गया।

16. किसान सलाहकार के नियोजन पर रोक हटाने संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

17. जैविक खेती हेतु विकास आयुक्त के स्तर पर प्रजेन्टेशन कराने का निदेश दिया गया।

18. दिनांक 26.06.2018 (मंगलवार) को प्रक्षेत्रों से सम्बधित पदाधिकारियों के साथ बामेती में कैबिनेट की बैठक के बाद बैठक बुलाने का निदेश दिया गया।

19. निदेश दिया गया कि लोक वित्त समिति/कैबिनेट में भेजे जाने वाले संलेख में अगर त्रुटि हो तो पी0पी0एम0 कोषांग द्वारा उसे वापस न कर संबंधित पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को बुलाकर त्रुटि का निराकरण कर लिया जाय।

20. FIG के अध्यक्ष/सचिव के साथ एक बैठक बुलाने का निदेश निदेशक, बामेती को दिया गया।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

11.7.18

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–56/16 – 3757 **पटना, दिनांक :–** 12-7-18

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/निदेशक, प्रशासन, कृषि विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णिया/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी उप निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी जिला के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.7.18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–56/16– 3757 **पटना, दिनांक :–** 12-7-18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11.7.18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।